संख्या- 32/874/बयालिस-2015-210(विविध)/2012

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 30 मार्च, 2015**

विषय- जनपद रामपुर में क्रीड़ा संकुल (स्पोर्टस काम्पलेक्स) के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिए वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी- 1337/नि0 रामपुर स्पोर्टस काम0/2013-14, दिनांक 19 मार्च, 2015 एवं शासनादेश संख्या- 31/764/बयालिस-2015-210(विविध)/2012, दिनांक 30 मार्च, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय जनपद रामपुर में क्रीड़ासंकुल के निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति रू0 2476.33 लाख के सापेक्ष संलग्न बी0एम0- 9(भाग- 1) प्रपत्र संख्या- 873/बयालिस-2015-210(विविध)/2013, दिनांक 30 मार्च, 2015 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 68.83 लाख (रू0 अड़सठ लाख तिरासी हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करते हुए उक्त धनराशि अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 68.83 लाख (रू0 अड़सठ लाख तिरासी हजार मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके निर्माण इकाई सी0 एण्ड डी0एस0 उत्तर प्रदेश जल निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्र0वि0 की होगी। स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत योजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(4)- लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(5)- शासनादेश संख्या- 391/बयालिस-2014-210(विविध)/2012, दिनांक 03.03.2014 एवं शासनादेश संख्या- 31/764/बयालिस-2015-210(विविध)/2012, दिनांक 30 मार्च, 2015 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल की होगी। स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

.....2

2- उक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2014-15 में अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-49-जनपद रामपुर में स्पोर्टस काम्पलेक्स का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

संख्या- 874(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, रामपुर।
(5)- प्रबन्ध निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0 जल निगम, लखनऊ।
(6)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी/क्रीड़ाधिकारी, रामपुर।
(7)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(8)- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग- 5
(9)- नियोजन अनुभाग- 4
(10)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in